



2026:AHC:3276

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19662 वर्ष 2025

संजय कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : आदित्य प्रकाश वर्मा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुना।
- विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय में तर्क दिया है कि वे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह होम गार्ड के रूप में कार्यरत था, लेकिन मुकदमा अपराध संख्या 0324/2024 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 452, 323, 307, 325, 504, 506 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के कारण याचिकाकर्ता को 28.12.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 22.02.2024 को याचिकाकर्ता को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि होम गार्ड अधिनियम, 1963 के नियम 12 (3) के प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द करने और उसकी सेवाएँ समाप्त करने का पूरा आधार मान्य नहीं है, क्योंकि मात्र आपराधिक मामले का लंबित होना और आपराधिक मुकदमे का लंबित होना बर्खास्तगी का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को पद से हटाने के संबंध में दिनांक 18.08.2023 के सरकारी आदेश के खंड 5 से 8 लागू होते हैं, जबकि रिट-ए संख्या 16186/2024 (महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 26.09.2025 को यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया गया था। इसलिए, उनके अनुसार, इस मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

6. विद्वान विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष अपील दायर करके प्रतिवादियों से संपर्क करे, जो इस मामले पर पुनर्विचार करेगा।

7. दोनों पक्षों की तर्कों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 3 - जिला होम गार्ड कमांडेंट, कासगंज के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, ताकि उक्त आदेश पर विचार किया जा सके। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, वे महेश सिंह (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे। यदि तीसरे प्रतिवादी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)